न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 23/2017

RCMS No. 2017/00154

प्रार्थी:–

1 नाथुसिंह पुत्र बहादुरसिंह

2 लक्ष्मणसिंह पुत्र बहादुरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चांगवा तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. उदयराम पुत्र नेनाजी
2. प्यारेलाल पुत्र नेनाजी
3. सुखदेव पुत्र नेनाजी
4. गिरधारी पुत्र नेनाजी जातिगण मालवीय लोहार निवासीगण चांगवा तहसील रानी जिला पाली
5. ग्राम पंचायत कीरवा तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री विक्रमसिंह, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:– 5/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, बालराई द्वारा जारी मिसल संख्या 21/1959 के सम्बन्ध में जारी प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 27.02.1960 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता नेनाराम पुत्र भीकाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 19.03.1960 को अपास्त कराने का निवेदन किया। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी का कब्जा ही नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि आबादी भूमि ही नहीं है। इस स्थिति में ग्राम पंचायत को उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह रास्ते तथा खातेदारी भूमि में जारी किया गया है, जिसे जारी करने की अधिकारिता पंचायत को नहीं थी। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता के नाम जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस आज्ञा के विरूद्ध निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, उस आदेश की प्रति ही प्रस्तुत नहीं की। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1960 में जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने के 55 वर्ष के पश्चात् निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो अवधिपार होने से पोषणीय नहीं है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इस सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है, जो अप्रार्थीगण के विरूद्ध शून्य प्रभावी है। ग्राम पंचायत बालराई द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में नेनाराम को पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में एस0सी0सी0 2006(1) पेज 379, सी0सी0सी0 (राज.) 2016 (1) पेज 297, डी0एन0जे0 (राज.) 2012 (2) पेज 602, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 154, डी0एन0जे0 (राज.) 2008 (2) पेज 735, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 695, सी0सी0सी0 2015 (1) पेज 651, ए0आई0आर0 2009 पेज 2195, डी0एन0जे0 (राज.) 2002 (1) पेज 307, ए0आई0आर0 2009 पेज 2463 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत बालराई एवं ग्राम पंचायत कीरवा द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति को अप्रार्थी द्वारा किसी भी रूप में नकारा नहीं गया है। जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत बालराई द्वारा मिसल संख्या 21/1959 के सम्बन्ध में जारी प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 27.02.1960 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता नेनाराम पुत्र भीकाजी के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पट्टे की भूमि की मौका जांच करवाने पर जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जैर निगरानी वादस्थ भूमि ग्राम चांगवा के खसरा नम्बर 337/1 की भूमि है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार मूलकी पत्नी देवाराम, जमनी, पानी, टिपु, गवरी, सुखीया, गोमी पुत्रियां देवाराम, पकाराम पुत्र चेलीया कौम सीरवी सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टे की भूमि का कुछ भाग खसरा नम्बर 321 में समाहित होना बताया, जो नाथूसिंह वगैरा की खातेदारी भूमि है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा जिस भूमि में जारी किया गया है, वह भूमि आबादी न होकर खातेदारी भूमि है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए है, वे अवश्य ही सम्माननीय है, जिसमें मियाद को अवधारित किया गया है, किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है, क्योंकि जब वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी भूमि खातेदारी की दर्ज है, तो इससे पूर्व यह भूमि आबादी में दर्ज होना, संभव ही नहीं है। इस कारण निर्विवादित रूप से प्रकरण में जो आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि आबादी की न होकर खातेदारी की भूमि थी, जिस पर किसी प्रकार का निर्णय लेने का पंचायत को अधिकार ही नहीं था। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है एवं इस प्रकार पारित आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना कत्तई न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बालराई द्वारा जारी मिसल संख्या 21/1959 के सम्बन्ध में जारी प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 27.02.1960 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पिता नेनाराम पुत्र भीकाजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 19.03.1960 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति ग्राम पंचायत बालराई एवं कीरवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 5/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली